

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामीर मे
---------------	-----------------------------------	------------------------------------

22-2-22 पञ्जावली पेश हुई। वकील वादी (अनुपस्थित) बार-बार रुक रुक कर आवाज लगवाई गई तीन बार आवाज लगवाने पर भी वकील वादी व वादी स्वयं उपस्थित नहीं हैं। अतः वादी दावा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का CPC कोर्देश 9 के अन्तर्गत अदम एलपी अदम फैरवी में स्वीकृत किया जाता है। पञ्जावली फैसल सुनार-होकर बाद वकील दफ्तर दाखिल है।

Wb.

